झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् (विघटन) अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

[झारखण्ड अधिनियम 5/2001]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,
डोरण्डा, रांची द्वारा मुद्रित
2001

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् (विघटन) अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

[झारखण्ड अधिनियम 5/2001]

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,
डोरण्डा, रांची द्वारा मुद्रित
2001

झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् (विघटन) अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

विषय-सूची

धाराएँ :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. प्रभाव ।
3. निरसन और व्यावृति ।

झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् (विघटन) अधिनियम, 2001

(सभा द्वारा पारित)

प्रस्तावना :—झारखण्ड क्षेत्र के त्वरित एवं सर्वांगीण विकास हेतु 'झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् अधिनियम, 1994' की धारा-1 की उप धारा (2) के अधीन यथा उल्लिखित छोटानागपुर एवं संथाल परगना क्षेत्र के 18 (अठारह) जिलों, क्रमशः लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रांची, बोकारो, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, धनबाद, दुमका, देवघर एवं गिरीडीह को मिलाकर योजना एवं विकास विभाग के द्वारा 9 अगस्त, 1995 को परिषद् की स्थापना की गई थी।

अब बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या-30) के भाग-11 की धारा-3 के उपबन्धों के अधीन यथा उपरोक्त अंकित अठारह जिलों को मिलाकर एक स्वतंत्र झारखण्ड राज्य की स्थापना की गई है।

झारखण्ड राज्य की स्थापना के फलस्वरुप झारखण्ड राज्यपाल को यह समाधान हो गया है कि अब झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् की आवश्यकता नहीं रह गई है और चूंकि झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् अधिनियम, 1994 (बिहार अधिनियम, 13,1994) की धारा-12 के उपबन्धों के अधीन उल्लिखित प्रावधानानुरुप ऐसी परिस्थितियां विद्यमान रहने पर झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् को विघटित किया जा सकता है।

इसलिए, भारत गणराज्य के 52 (बावनवें) वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

परिच्छेद

(1) यह अधिनियम 'झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् (विघटन) अधिनियम, 2001' कहा जा सकेगा।

(2) उसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

परिच्छेद II

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :—

(3) इस अधिनियम के अधिसूचना द्वारा निर्गत होने, या दिनांक 8 फरवरी, 2001, जो भी पहले हो, झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 12 (1) के अधीन झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् विघटित समझा जायेगा।

(4) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार झारखंड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव :—किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में यथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस विधेयक के प्रावधान अभिभावी एवं प्रभावी होंगे।

3. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद् अधिनियम, 1994 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य, या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा, या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया, या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

यह विधेयक झारखण्ड क्षेत्र स्वशासी परिषद् (विघटन) विधेयक, 2001 दिनांक 30 मार्च, 2001 के झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 मार्च, 2001 के सभा द्वारा पारित हुआ ।

इन्दर सिंह नामधारी,
अध्यक्ष ।

मैं इस विधेयक पर अनुमति प्रदान करता हूँ ।

रांची :
दिनांक 20 अप्रैल, 2001

प्रभात कुमार,
राज्यपाल, झारखण्ड ।

सच्ची प्रतिलिपि

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अगापित टोप्पो,
सचिव,
झारखंड विधान सभा, रांची ।

झा०रा०मु० रांची (एस०ए०)—12—81—11-8-2001—शनि मुण्डा ।